

Leprosy Asylums

1050. DR. tNJAYA SINH: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Leprosy Asylums have failed in their twin purposes of Social rehabilitation and medical treatment as per the news items entitled: "Leprosy Asylums yet to make a mark" which appeared in the Hindustan Times, dated 31st January, 1993; and

(b) if so, what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) and (b) With the introduction of Multi Drug. Therapy for treatment of leprosy in 1982, the concept of Leprosy Asylums has become outdated as leprosy patients can be given domiciliary treatment. Presently the emphasis in the programme is on early detection of leprosy cases and their regular treatment without isolating them from the family. This serves the twin purpose of adequate social rehabilitation and completion of timely treatment.

कलकत्ता के मेडिकल स्टोर्स में दवाइयों का उपलब्ध न होना

1051. चौधरी हरमोहन सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के मेडिकल स्टोर्स/डिपों में दवाइयों का कोई स्टॉक उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या स्टॉक की अनुपलब्धता के कारण विगत दो वर्षों के दौरान राज्यों की दवाइयों की आपूर्ति में विलम्ब हुआ है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आपूर्ति में कोई असामान्य विलम्ब सूचित नहीं किया गया है।

गुजरात में परिवार कल्याण केन्द्र

1052. श्री राम सिंह राठवा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात में परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान अभी तक परिवार नियोजन हेतु आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अप्रैल, 1992 से जनवरी, 1993 के दौरान परिवार नियोजन आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या 1,73,159 (अनन्तिम) है।

उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण केन्द्र

1053. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय परिवार कल्याण केन्द्रों की संख्या कितनी है;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे केन्द्रों की जिलेवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1991-92 में और 1992-93 में अभी तक परिवार नियोजन हेतु आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) परिवार कल्याण केन्द्रों की जिला-वार संख्या अनुषंग में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 166, अनुषंग संख्या 20]

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उत्तर प्रदेश में 1991-92 और 1992-93 (जनवरी, 1993 तक) के दौरान परिवार नियोजन

अपेक्षित करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 3,75,771 और 2,51,938 (अनंतिम) है।

डॉक्टरों की समस्याओं के समाधान हेतु त्रिपक्षीय बैठक

1054. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कोई आवेदन प्राप्त हुए हैं किनमें प्रतिनिधियों (डॉक्टरों, राजनैतिक दलों और सरकार) की त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के अधीन कार्यरत डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ऐसी कोई त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करने का विचार रखती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह बैठक कब तक आयोजित की जायेगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० श्रीकरानन्द): (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह माधला उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

1055. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that every year more than three lakh children afflicted with chromosome disorders are born; and

(b) if so, the details thereof and the remedial measures Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHAN-KARANAND): (a) Nation-wide data on the incidence of genetic abnormality is not available. However according to one estimate provided by ICMR the incidence of abnormal births is around 1.9 per thousand births.

(b) The Indian Council of Medical Research has reported that the Genetic Research Centre set up by the Council offers counselling for chromosome abnormality and mental retardation etc.

The Institutes for Research in Reproduction and Immuno-Haematology, at Bombay also deal with Chromosomal disorders.

A study on the feasibility of introducing genetic services in the National Family Welfare Programme has been undertaken by the Council in a few Institutions in the country.

Development of Nizam Institute of Medical Science*

1056. Dr. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation to develop Nizam's Institute of Medical Sciences into a National Institute of excellence; if so, what are the details thereof; and

(b) the details of the decision taken thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI B. SHAN-KARANAND): (a) and (b) Such a proposal was received in 1991. The State Government and the Director of the Institute were informed that the proposal could not be agreed to.

Shortage of oral Pills and Copper-Ts

1058. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a massive shortage of oral -pills and copper-Ts for implementing the Indian Family Planning Programme; and

(b) If so, the details thereof?